राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)(   )नियम / डीएलबी / 17 / 31135   जयपुर, दिनांकः 7/12/17

आदेश

ऐसा जानकारी में आया है कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आयोजित शिविरो के लंबित प्रकरणो के निष्पादन नगर निकायो द्वारा नियमित रूप से एम्पावर्ड कमेटी की बैठक नही बुलाये जाने के कारण नहीं हो पा रहा है।

इस स्थिति में सुधार हेतु निर्देशित किया जाता है कि संबंधित आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी लम्बित प्रकरणो के निष्पादन हेतु ऐजेण्डा तैयार कर अविलम्ब एम्पावर्ड कमेटी की बैठक बुलावे तथा समस्त लंबित प्रकरणो को कमेटी की बैठक मे रखकर नियमानुसार निस्तारित करावे। उक्त बैठक मे यदि मेयर / अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी बैठक की अध्यक्षता कर प्रकरणो का नियमानुसार निस्तारण कराऐंगे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियम / डीएलबी / 2017 / 31136 - 31597   दिनांकः 7/12/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
04. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगरनिगम / परिषद / पालिकायें राजस्थान।
05. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें राजस्थान।
06. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
07. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
08. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी